न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 56/2024

अनवान : –

1. अमित कुमार उम्र 16 वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश नाबालिग संरक्षक जरिये कुदरती बली माता सरस्वती पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कोमल उम्र 5 वर्ष पुत्री चन्द्रप्रकाश नाबालिग संरक्षक जरिये कुदरती बली माता सरस्वती पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
2. सुरजादेवी पत्नी गुरदयाल जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 10/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 617/515 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से गैरसायल स0 2 के एवं एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 41/41 की कुल 1.2900 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि सायल सायल के दादा की संयुक्त आय से अर्जित भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि उन्होने अपनी पत्नि व पुत्रगण के नाम करवा दी तथा उन्होने वादग्रस्त भूमि को गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 617/515 की कुल 0.7590 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 2 के नाम दर्ज हुई एवं रोही मोजा चक 13 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 41/41 की कुल 1.2900 हैक्टर भूमि गैरसायलान सं. 1 के नाम दर्ज हुई।

उपरोक्त कृषि भूमि बतौर हिन्दु खान दान दर्ज है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि ह यानि बाई बर्थ राईट है। जिसमें सायलान का जन्म से हक व हिस्सा है इसलिए सायलान अपने हक व हिस्से की घोषणा न्यायालय से करवापाने के अधिकारी है इसलिए रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 617/515 की कुल 0.7590 हैक्टर भूमि में सायलान ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा गैरसायलान सं. 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 13 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 41/41 की कुल 1.2900 हैक्टर भूमि में सायलान ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं गैरसायल सं. 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि गैरसायलान सं. 1 व 2 सायलान से पारिवारिक कारणो से नाराज रहने लगे है। तथा वादग्रस्त भूमि अपने नाम अनुचित तरीके से रहने का फायदा उठाकर वाद भूमि अन्यत्र रहन/बैय करने पर आमादा है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 वाद भूमि अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो पायेगी। एवं सायलान जो कि नाबालिग है उनके जीवन व्यापन का जरिये एक मात्र उपरोक्त कृषि भूमि ही है। इसलिए सायलान व गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का मजाज है कि गैरसायलान सं. 1 व 2 वाद भूमि को अन्यत्र रहन / बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। उपरोक्त आशयों की सायलान घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायलान पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 617/515 की कुल 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मोजा चक 13 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 41/41 की कुल 1.2900 हैक्टर भूमि को गैरसायलान सं. 1 व 2 रहन / बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 617/515 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 41/41 की कुल 1.2900 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि गैरसायल स0 ने अपने नाम दर्ज भूमि को दिनांक 25.01.2008 को जरिये बैयनामा खरीद की है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि गैरसायल स0 1 को जरिये वसीयत दिनांक 01.03.1993 को प्राप्त हुई है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उपरोक्त कृषि भूमि सायल सायल के दादा की संयुक्त आय से अर्जित भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि उन्होने अपनी पत्नि व पुत्रगण के नाम करवा दी तथा उन्होने वादग्रस्त भूमि को गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 617/515 की कुल 0.7590 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 2 के नाम दर्ज हुई एवं रोही मोजा चक 13 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 41/41 की कुल 1.2900 हैक्टर भूमि गैरसायलान सं. 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित होने के कारण पैतृक भूमि है लेकिन गैरसायल स0 1 ता 2 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल द्वारा वाद भूमि को रहन, बैय किया जा रहा है। अत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की गैरसायल स0 1 की पैतृक भूमि नही है उक्त भूमि गैरसायल स0 1 व 2 की स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा नही है। की उक्त भूमि गैरसायल स0 ने अपने नाम दर्ज भूमि को दिनांक 25.01.2008 को जरिये बैयनामा खरीद की है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि गैरसायल स0 1 को जरिये वसीयत दिनांक 01.03.1993 को प्राप्त हुई है। अत [illegible] पैतृक नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्स्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 617/515 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से गैरसायल स0 2 के एवं एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 41/41 की कुल 1.2900 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 25.01.2008 की चित्रप्रति के मुताबिक गैरसायल स0 2 की खरीद की गई है एवं वसीयत दिनांक 01.03.1993 के मुताबिक अप्रार्थी स0 1 को उक्त भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई है अत उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 2 की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण अप्रार्थी स0 1 ता 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 27.03.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/03/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:09 IST
Reason: SelfAttested